तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15-02-21	पश्चात्वर्ती पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी श्री [illegible] विपक्षी का अभिभाषक तारा चन्द्र गोदारा हाजिर। विपक्षी का अभिभाषक गत तारीख को गैरहाजिर रहा किन्तु इस तारीख को उपस्थित आया। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं निर्णय/डिक्री अनुसार न्यायालय में इजराय दायर होकर तहसीलदार साहब द्वारा पालना करी गयी है जिसके विपक्षी बाधक बनकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह तथ्य है प्रार्थना के प्रति की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3245 रकबा 0.47 है0 में से 0.08 है0 भूमि डिक्री वाली भूमि पर विपक्षी द्वारा किये गये कब्जे से विपक्षी को बेदखल करने का आदेश 12-7-16 को पारित किया गया था। किन्तु तहसीलदार साहब द्वारा पालना नहीं किये जाने से प्रकरण प्रार्थना के पक्ष में चला है। सुविधा व दुलन की प्रार्थना के पक्ष में है यदि विपक्षी द्वारा 0.08 है0 भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थना को होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझती हूँ। आदेश प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 R TA स्वीकार किया जाकर विपक्षी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ला0 दे0 नियम इजराय इस आशय की जारी की जाती है कि वह वाद ग्राम तहसील में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 3245 रकबा 0.47 है0 में से 0.08 है0 भूमि डिक्री वाली भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न	

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
रतनगढ़ (चूरू)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करे व किसी दूसरे से कराये। पश्चात्वर्ती के नियमानुसार सिविल नम्बर में काम की इजराय के अन्तर्गत

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
रतनगढ़ (चूरू) राज.